रायगढ़, शुक्रवार
23.02.2018
फाल्गुन शुक्ल 9
भार. फाल्गुन 4, कृति.9.43
दिन, विक्रम सं. 2074
पृष्ठ 8, मूल्य 3

साप्ताहिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

SJU Social Justice Union

Web: www.nyaysakshi.com

3 देखें... बिना लीज और बिना भंडारण लाईसेंस् के ... 6 देखें मनोरंजन में ....

वर्ष-1 अंक - 37

अंतर्राष्ट्रीय खबरें

वाड्रा को झटका, आयकर नोटिस को चुनौती कोर्ट ने की खारिज

नई दिल्ली,(आरएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रॉबर्ट वाड्रा से संबद्ध दिल्ली की एक संस्था की याचिका खारिज कर दी। याचिका में आयकर विभाग के एक नोटिस को चुनौती दी गई थी जिसमें संस्था को वर्ष 2010-11 में हरियाणा और राजस्थान में हुए भूमि सौदों से हुए फायदों का पुनःमूल्यांकन के लिए कहा गया था। उच्च न्यायालय के समक्ष रखी गई कर चोरी से जुड़ी एक रिपोर्ट में आयकर विभाग ने कहा है कि उनके पास यह मानने के कारण हैं कि वर्ष 2010-11 में संस्था द्वारा कमाए गए लाभ में से 35 करोड़ से ऊपर की राशि को मूल्यांकन से बचा लिया गया। कर चोरी की इस रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति चंद्र शेखर की एक पीठ ने कहा, कारणों पर ध्यान देने के बाद, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि यह मानने का कारण है कि आय को मूल्यांकन से बचाया गया है, जिस कारण नोटिस जारी करना जरूरी था। साथ ही अदालत ने संस्था स्काई लाइट हॉस्पिटेलिटी एलएलपी को 19 फरवरी को मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष कार्यवाही के लिए पेश होना का निर्देश भी दिया। संस्था ने आयकर विभाग के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका में कहा है कि मानने के कारण केवल शक के आधार पर दिए गए कारण हैं और यह साबित नहीं होता कि आय को मूल्यांकन से बचाया गया है। संस्था के दावों से असहमति जताते हुए पीठ ने कहा कि नोटिस जारी करते वक्त पूर्ण निश्चितता की जरूरत नहीं थी साथ ही कहा कि यह सिर्फ संदेह, अफवाहों और सुनी-सुनाई बातों पर आधारित न हों। हमें यह ठहराने में कोई संकोच नहीं है कि उक्त जांच और कसौटियां वर्तमान मामले में संतुष्टिजनक हैं। पीठ ने कहा, नोटिस जारी करने को उचित ठहराने के लिए सबूत और सामग्रियां मौजूद हैं। साथ ही कहा कि जब तक मूल्यांकन अधिकारी द्वारा ईमानदार और मुनासिब मत बनाया गया है और केवल शक के आधार पर कारण नहीं दिए गए हैं तब तक अदालत को न्यायित निर्णय की प्रक्रिया को रोकने में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पीठ ने संस्था की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें उसने कहा है कि आयकर विभाग ने गलत कंपनी यानि स्काई लाइट हॉस्पिटेलिटी प्राइवेट लिमिटेड की बजाए स्काई लाइट हॉस्पिटेलिटी एलएलपी को यह नोटिस भेजा है।

नीरव मोदी के ठिकाने पर छापे, 2 करोड़ की संपत्ति जब्त

पटना (आरएनएस)। पीएनबी घोटाले में आभूषण कारोबारी नीरव मोदी और उनके रिश्तेदार मेहुल चोकसी के गीतांजलि समूह के परिसरों पर शुक्रवार शाम से ही छापेमारी की कार्रवाई कर रहे ईडी ने अभी तक 2.25 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। पटना स्थित प्रवर्तन निदेशालय की इकाई से मिली जानकारी के अनुसार, एजेंसी की टीम शुक्रवार देर से शाम महाराजा कॉम्पलेक्स स्थिति गीतांजलि समूह के परिसर पर छापेमारी कार्रवाई कर रही थी। टीम ने वहां से 2.25 करोड़ रुपये कीमत की संपत्ति जब्त की है। गौरतलब है कि पटना में गीतांजलि ग्रुप का फ्रेंचाईजी विजय सिंह नामक व्यक्ति के पास है। वह महालक्ष्मी जेवल्स के नाम से यहां गीतांजलि समूह के साथ व्यापार कर रहे हैं। इस मामले में विदेश मंत्रालय ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का पासपोर्ट कल तत्काल प्रभाव से चार हफ्तों के लिए निलंबित कर दिया। हालांकि मंत्रालय को यह जानकारी नहीं है कि नीरव अभी कहां हैं। वहीं पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत के आधार पर सीबीआई ने शुक्रवार नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ नये सिरे से प्राथमिकी दर्ज कर उनका पता लगाने के लिए इंटरपोल से संपर्क किया। अधिकारियों ने बताया कि पीएनबी की ओर से 13 फरवरी को मिली शिकायत के आधार पर नये सिरे से प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

एनकाउंटर के डर से पेशेवर अपराधी माफी की तख्ती लेकर घूमे

मेरठ, (आरएनएस)। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैराना के आस-पास दो लोग हाथ में तख्तियां लेकर घूमते नजर आ रहे थे। तख्ती में लिखा था, 'मैं भविष्य में किसी भी अपराध में शामिल नहीं रहूंगा। भविष्य में मैं कठिन परिश्रम करके रुपये कमाऊंगा। कृपया हमें माफकर दें। ये दोनों पेशेवर अपराधी हैं। इन्हें डर है कि कहीं यूपी पुलिस उनका एनकाउंटर न दे, इसलिए वे ऐसा करके सार्वजनिक तौर पर माफी मांग रहे हैं। सलीम अली और इरशाद अहमद नाम के ये दोनों अपराधी कई लूट और हत्या के मामलों में आरोपी हैं। उन्हें हाल ही में जमानत पर जेल से छोड़ा गया है। उन्होंने शामली के एसपी अजय पाल शर्मा को भी इसी अपील का एक शपथपत्र दिया है। उन्होंने कहा कि हम लोगों पर शामली और कैराना थाने में कई मामले दर्ज हैं। कहा हम नहीं चाहते कि दूसरे अपराधियों की तरह हमारा भी एनकाउंटर कर दिया जाए। हम अब परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं।

सीनेट में आव्रजन विधेयक खारिज, हजारों भारतीयों को झटका

वाशिंगटन (आरएनएस)। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समर्थित प्रस्ताव समेत आव्रजन सुधार से जुड़े कई अहम प्रस्ताव शुक्रवार को खारिज कर दिए। इससे 'ड्रीमर्स' कहे जाने वाले उन लाखों युवा प्रवासियों का भविष्य अधर में लटक गया है, जिन्हें बचपन में गैरकानूनी तरीके से अमेरिका लाया गया था। इनमें बड़ी तादाद में भारतीय भी शामिल हैं। सीनेट में ट्रंप प्रशासन के आव्रजन संबंधी द्विपक्षीय करार को भी खारिज कर दिया। इस करार में मैक्सिको की सीमा के पास दीवार बनाने और अन्य सुरक्षा कदमों के लिए 25 अरब डॉलर देने का प्रस्ताव दिया गया था। लेकिन इसके बदले अमेरिका के करीब 18 लाख कथित 'ड्रीमर्स' को नागरिकता मुहैया कराने की शर्त रखी गई थी। सीनेटरों ने किसी भी आव्रजन योजना को पारित होने लायक पर्याप्त मत नहीं दिए। राष्ट्रपति ट्रंप समर्थित विधेयक को 60 के मुकाबले 39 मत मिले। यदि यह विधेयक पारित हो जाता तो 18 लाख अवैध प्रवासियों को स्थायी वैध दर्जा मिल जाता। साथ ही मैक्सिको की सीमा पर दीवार के निर्माण के लिए 25 अरब डॉलर की राशि मिल जाती। व्हाइट हाउस समर्थित विधेयक से परिवार आधारित आव्रजन पर भी रोक लग जाती। विविधता लॉटरी वीजा भी समाप्त हो जाता, लेकिन विधेयक पारित होने के लिए 60 मत कम रह गए। सीनेट में बुधवार को पेश किए गए आव्रजन सुधार से जुड़े सभी चार प्रस्ताव पारित होने में नाकाम रहे। शूमर-राउंड्स-कॉलिंस द्विपक्षीय आव्रजन विधेयक को सीनेट ने 54 के मुकाबले 45 मतों से खारिज कर दिया। इसको पारित करने के लिए भी 60 मत कम रह गए। ट्रंप ने इस विधेयक को पूर्ण तबाही करार दिया। व्हाइट हाउस ने इस विधेयक के खिलाफ वीटो इस्तेमाल करने की धमकी दी थी। रिपब्लिकन सीनेटर मार्को रुबियो ने कहा, सीनेट के समक्ष बुधवार को प्रत्येक विधेयक पारित होने में असफल रहा।

अमेरिका में अल कायदा आतंकी को मिली उम्र कैद की सजा

वाशिंगटन,(आरएनएस)। अल कायदा के आतंकवादी इब्राहिम सुलेमान अदनान अदम हारून को अमेरिका में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। न्याय विभाग ने आज यह जानकारी दी। अमेरिकी सैन्य कर्मियों की अफगानिस्तान में हत्या और नाइजीरिया में अमेरिकी दूतावास पर हमला करने के षड्यंत्र सहित कई आतंकवादी कृत्यों के दोषी ठहराए जाने के बाद हारून को सजा सुनाई गई है। अल कायदा के आतंकवादी को 16 मार्च, 2017 को दोषी ठहराया गया था। कार्यवाहक सहायक अटॉर्नी जनरल जेम्स ओकलाघन ने बताया, ''मुकदमे के दौरान पेश किए सबूत ने इसकी पुष्टि की है कि बचाव पक्ष और अन्य जिहादियों ने अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य काफिले पर हमला किया था और इस हमले में दो अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई थी और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

रोहिंग्या मुसलमानों को वापस लेने को तैयार हुआ म्यांमा

ढाका ,(आरएनएस)। बांग्लादेश के दौरे पर आए म्यांमा के एक मंत्री ने देश के राष्ट्रपति से कहा है कि उनका देश रोहिंग्या मुसलमानों को वापस लेने को तैयार है। म्यांमा में हिंसा के बाद रोहिंग्या वहां से जान बचाकर भाग आए थे। यह जानकारी बांग्लादेश के एक अधिकारी ने दी। राष्ट्रपति के प्रवक्ता जैनुल आबदीन ने शुक्रवार को कहा कि म्यांमा के गृह मंत्री क्याव स्वे ने राष्ट्रपति अब्दुल हामिद से यहां कहा कि वह देशों के बीच पिछले साल हुए समझौते के तहत रोहिंग्या को वापस लेने को तैयार हैं। आबदीन के अनुसार मंत्री ने कहा कि म्यांमा संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान के नेतृत्व वाले एक आयोग की सिफारिशों को लागू करेगा। क्याव स्वे का आज अपने बांग्लादेशी समकक्ष से मुलाकात का कार्यक्रम है। इस दौरान दोनों आगे की बातचीत करेंगे। अगस्त से तकरीबन सात लाख रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश पहुंचे हैं। उस समय म्यांमा की सेना ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। इसकी काफी आलोचना हुई और इसे जातीय सफाये के समान बताया गया था।

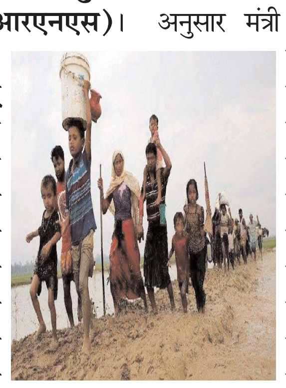

रूसी हस्तक्षेप का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में नहीं पड़ा कोई असर

वॉशिंगटन ,(आरएनएस)। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि रूस के कथित हस्तक्षेप का 2016 में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। इस मामले में संघीय ग्रैंड जूरी ने 13 रूसी नागरिकों और तीन कंपनियों को देश की राजनीतिक प्रणाली में हस्तक्षेप करने का दोषी ठहराया है। अमेरिका के विशेष काउंसलर रॉबर्ट मुलर के कार्यालय ने शुक्रवार को इन सभी को दोषी ठहराये जाने की घोषणा की। उसमें यह भी कहा गया है कि इन लोगों ने सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार के जरिए भी 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप किया था। यह रेखांकित करते हुए कि रूसी हस्तक्षेप बहुत पहले शुरू हुआ था, ट्रंप ने अपने प्रचार अभियान के संबंध में कहा, 'कोई मिलीभगत नहीं थी।' उन्होंने कहा, 'रूस ने अपना अमेरिका-विरोधी अभियान 2014 में शुरू किया था, मेरे राष्ट्रपति पद के चुनाव में भागीदारी की घोषणा से बहुत पहले। चुनाव परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ट्रंप प्रचार अभियान में कुछ गलत नहीं किया। कोई मिलीभगत नहीं हुई।' बाद में वाइट हाउस की ओर से जारी एक बयान में ट्रंप ने देशवासियों से अनुरोध किया कि वह अफवाह फैलाने के लिए भ्रम पैदा करने वालों के खिलाफ एकजुट हों।

7.2 तीव्रता के भूकंप से थर्राया मेक्सिको सिटी

मेक्सिको ,(आरएनएस)। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी को भूकंप ने शुक्रवार को हिलाकर रख दिया। शुक्रवार सुबह मेक्सिको सिटी और उसके आसपास के इलाकों में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। अमेरिका के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (स्तर) के मुताबिक, भूकंप की 7.2 तीव्रता थी। भूकंप का केंद्र दक्षिण राज्य ओक्साका में प्रशांत तट के करीब जमीन में 43 किलोमीटर अंदर बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक किसी जान-माल के नुकसान की कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए, डरे-सहमे सभी लोग घर, दफ्तरों और बिल्डिंगों से निकलकर बाहर खुले मैदान में इकट्ठा हो गए। मेक्सिको के 57 वर्षीय एक नागरिक ने कहा, 'यह बहुत ही भयानक था।। यहां सब कुछ हिलना शुरू हो गया था। कार भी इधर-उधर जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करूं।

फ्लॉरिडा गोलीबारी में मारे गए लोगों की अंत्येष्टि के दौरान लोगों का गुस्सा फूटा

पार्कलैंड (आरएनएस)। फ्लोरिडा गोलीबारी में मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार के दौरान उनके परिवार के सदस्यों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने अधिकारियों से सवाल करने शुरू कर दिए कि क्या वे स्कूल में हुए इस हमले को रोक नहीं सकते थे। दक्षिणी फ्लॉरिडा के एक स्कूल में हुए इस हमले में 14 छात्र, एक एथलेटिक्स निदेशक, एक कोच और भूगोल के एक शिक्षक मारे गए थे। पार्कलैंड की सड़कों और अंत्येष्टि वाले स्थान पर लोगों ने गोलीबारी की सनक और बंदूकों की व्यापक उपलब्धता पर आक्रोश व्यक्त किया। फोर्ट लॉडरडेल के संघीय अदालतकक्ष में शनिवार को बंदूक-सुरक्षा संबंधी कानून को समर्थन देने के लिए एक रैली होनी है। उधर शुक्रवार को 18 वर्षीय मीडो पोलॉक की अंत्येष्टि के दौरान उसके पिता गुस्से से चिल्लाने लगे। इस दौरान गवर्नर रिक स्कॉट और 1000 अन्य लोग भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहने चाहिए। अंत्येष्टि के कुछ देर बाद ही एफबीआई ने कहा, पिछले महीने उसे सूचना मिली थी कि क्रूज हत्या करने की मंशा रखता है और बंदूक हासिल करना चाहता है। हमें पता चला था कि वह किसी हमले की साजिश रच रहा है लेकिन एजेंसी इसकी जांच करने में असफल रही। गवर्नर ने एफबीआई निदेशक के इस्तीफा की मांग की।

भारतीय मूल की टीचर ने जान पर खेलकर बचाई बच्चों की जान

पार्कलैण्ड , (आरएनएस)। अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित एक स्कूल में हुई फायरिंग के दौरान अपनी सूझ-बूझ से कई छात्रों की जान बचाने वाली भारतीय मूल की मैथ्स टीचर की खूब तारीफ हो रही है. इस गोलीबारी में 17 लोगों की जान चली गई थी.द सन सेंटिनल की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार की दोपहर जैसे ही दूसरी बार अलार्म बजा, तो शांति विश्वनाथन ने अपनी अल्जेब्रा क्लास में मौजूद छात्रों को हमलावर से बचाने के लिए उन्हें फर्श पर लिटा दिया और क्लासरूम की खिड़कियां-दरवाजे बंद कर दिए. विश्वनाथन की उस क्लास में मौजूद छात्रों में से एक की मां डान जर्बो कहती हैं, उन्होंने बेहद तेज़ी से सूझबूझ दिखाते हुए सभी बच्चों की जान बचाई.अखबार के मुताबिक, जब एक स्वाट टीम ने दरवाज़ा खोलने के लिए दस्तक दी, तो विश्वनाथन ने इसे बंदूकधारियों की चाल समझकर कोई भी खतरा मोल न लेते हुए दरवाज़ा नहीं खोला. जर्बो ने पुलिस को विश्वनाथन के बारे में बताते हुए कहा कि उन्होंने दरवाज़े पर दस्तक देने वालों से कहा कि या तो चाबी से खुद दरवाजा खोल लो या फिर दरवाजे को तोड़ डालो, मैं यह नहीं खोलने वाली. अखबार के हवाले से जर्बो के बेटे ब्रायन ने अपनी मां को बताया कि कुछ पुलिसकर्मी खिड़की से अंदर दाखिल हुए और हम सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

पाक समर्थन बयान देने पर अय्यर के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज

कोटा,(आरएनएस)। पूर्व राजनयिक और निलंबित कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के खिलाफ राजस्थान के कोटा जिले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट में देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ है। इस मामले में 20 फरवरी को न्यायालय में सुनवाई होगी। यह मामला बीजेपी के कोटा जिले से ओबीसी विंग के मुखिया अशोक चौधरी ने आईपीसी की धारा 124 (ए), 500 और 504 के तहत दर्ज कराया है। अशोक चौधरी के मुताबिक नौवें कराची साहित्य सम्मेलन में मणिशंकर अय्यर के पाकिस्तान के प्रति प्यार जाहिर करने और भारत की बदनामी करने के चलते यह मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि मणिशंकर अय्यर ने मंगलवार को कहा कि उन्हें पाकिस्तान में मिले प्यार से ज्यादा भारत में नफरत मिलती है। कराची में हुए एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पाकिस्तान गए अय्यर ने कहा, 'जितना मुझे पाकिस्तान में प्यार मिला उससे ज्यादा मुझे भारत में नफरत मिली।

सरकार लाएगी नई औषधि नीति

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि सरकार प्रस्तावित स्वास्थ्य बीमा योजना को देश भर में लागू करने के लिए अगले कुछ महीनों में नई औषधि नीति लाएगी। उन्होंने यहां कहा कि हम विचार कर रहे हैं। हमने इस पर चर्चा की है। बजट में प्रस्तावित चिकित्सा बीमा योजना को भी नई नीति में साथ में रखा जा सकता है। कुछ महीनों में हम इसे मूर्त रूप दे देंगे। उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हुए चौतरफा सुधार करेंगे ताकि कारोबार सुगमता के साथ ही जीवन-यापन को भी सुगम किया जा सके। कुमार ने कहा कि 10 करोड़ परिवारों को बीमा सुरक्षा देने की बजट प्रस्तावना के लिए आधारभूत संरचना, मानव संसाधन, औषधि तथा चिकित्सकीय उपकरणों आदि की भी जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि उनका आकलन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस निर्णय से भारत अगले पांच साल में विश्व का सबसे बड़ा औषधि बाजार बन जाएगा। कुमार ने फर्मा एवं चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के लिए अलग मंत्रालय की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हम औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश में व्यापक सुधार करने वाले हैं, इसका मैं आश्वासन दे रहा हूं। हमें इसमें बदलाव करने की जरूरत है। हमें नयी औषधि नीति लाने की जरूरत है। कुमार ने अलग मंत्रालय की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि वह इस पर जोर देता रहे हैं कि उनका मंत्रालय इसके लिए प्रधानमंत्री के साथ काम कर रहा है।

नामांकन के समय नेताओं को बताना होगा अपने और परिजनों के आय का स्त्रोत

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उम्मीदवार के साथ उसके आश्रित भी चुनावी शपथपत्र में संपत्ति का खुलासा करेंगे। यानी अब उम्मीदवार के बच्चों की संपत्ति भी वोटर को पता चल जायेगी। इसके अलावा नामांकन के समय उम्मीदवार को अपने और परिजनों के आय का स्त्रोत भी बताना होगा। जस्टिस जे चेलामेस्वर की पीठ ने यह आदेश एक फैसले में शुक्रवार को दिया। अब तक उम्मीदवार और उसकी पत्नी या पति ही चुनावी शपथ पत्र में अपनी संपत्ति की घोषणा करते थे। शीर्ष अदालत के इस आदेश से अब नेताओं के भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। उम्मीदवार बच्चों के नाम संपति रखकर पैसा बनाने में लगे रहते थे। कोर्ट का यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा लेकिन उत्तर-पूर्व राज्यों के चुनावों में इसका असर नहीं होगा क्योंकि वहां नामांकन भरे जा चुके हैं। कोर्ट ने यह आदेश उत्तर प्रदेश के एनजीओ लोक प्रहरी की याचिका पर दिया है। याचिका पूर्व आईएएस एसएन शुक्ला ने दाखिल की थी। चुनाव आयोग ने इस याचिका का समर्थन किया था।

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र रायगढ़ एवं जशपुर जिले हेतु रिपोर्टर/संवाददाता चाहिए तत्काल संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
श्रीराम कॉलोनी,स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन "हेडलबर्ग" से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400